अनुदान संख्या 36 - प्रत्यक्ष कर
GRANT No. 36 - DIRECT TAXES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	8282,87,00	8818,29,00	8658,63,67	-159,65,33
पूरक	Supplementary	535,42,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				103,48,27
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1610,00,00	1610,03,00	1182,10,28	-427,92,72
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				415,51,82

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में समग्र बचतें (₹15965.33 लाख दिसंबर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹53542.00 लाख के पूरक अनुदान का 30 प्रतिशत थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुएः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹15965.33 lakhs) constituted 30 percent of the supplementary grant of ₹53542.00 lakhs obtained in December, 2023 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2020"	Major Head "2020"				
आय और व्यय पर कर संग्रह	Collection of Taxes on Income and Expenditure				
मू.	O.	807580.00			
पू.	S.	53542.00	850773.73	844279.47	-6494.26
पु.	R.	-10348.27			

(I) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान नीचे प्रत्येक के समक्ष दर्शाये अनुसार पूरी तरह से अप्रयुक्त रहाः–

(I) Supplementary grant obtained under following heads remained wholly unutilised as shown against each: -

(का) "निदेशन और प्रशासन – संगठन और प्रबंधन सेवाएं" – ₹15316.53 लाख का मूल प्रावधान ₹863.24 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹16179.77 लाख तक बढाया गया। तथापि, ₹1911.60 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और भत्तों, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, कम संख्या में दौरे करने, प्रिंटिंग और प्रकाशन, किए गए कम संख्या में तुच्छ कार्यों और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कुछ प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दिए जाने के कारण कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(A) "Direction and Administration - Organisation and Management Services" - the original provision of ₹15316.53 lakhs was augmented to ₹16179.77 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹863.24 lakhs. However, there was a saving of ₹1911.60 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards allowances, medical reimbursements, less tours undertaken, printing and publication, less minor works undertaken and non-clearance of some proposals of Central Public Works Department.

(खा) "संग्रह शुल्क – आयकर – प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के क्षेत्रीय लेखा कार्यालय" – ₹11434.78 लाख का मूल प्रावधान ₹109.50 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹11544.28 लाख तक बढाया गया। तथापि, ₹1401.25 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) अधिवक्ताओं की फ़ीस, वेतन, पुरस्कारों, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, छुट्टी यात्रा रियायत, प्रशिक्षण, राजस्व संबंधी अन्य व्ययों, एस. ए. पी. और सेवाओं के मूल्यांकन के लिए कम संख्या में दावे प्राप्त होने से कम निधियों की आवश्यकता होने से हुई।

(B) "Collection Charges-Income Tax - Zonal Accounts Offices of Principal Chief Controller of Accounts" - the original provision of ₹11434.78 lakhs was augmented to ₹11544.28 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹109.50 lakhs. However, there was a saving of ₹1401.25 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards fess of standing counsel, salaries, rewards, medical reimbursements, leave travel

concession, trainings, other revenue expenditure, SAP and receipt of less claims for valuation services.

(II) "संग्रहण शुल्क – आयकर – आयुक्त और उनके कार्यालय" – ₹772149.58 लाख का मूल प्रावधान ₹52114.81 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹824264.39 लाख तक बढाया गया। तथापि, यह रोजगार इम्प्लायमेंट स्कीम के तहत भर्ती किए गए नए व्यक्तियों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने, मूल्यांकन सेवाओं के लिए कम संखा में दावों, समयोपरि भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम संखा में दावे होने, छुट्टी यात्रा रियायत, पुरस्कार, अधिवक्ताओं की फ़ीस के तौर पर कम निधियों की आवश्यक्ता होने, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का कम उपयोग करने, कम संख्या में दौरे करने, अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों के लिए कम व्यक्तियों का नामनिर्देशन करने, कम संख्या में प्रकाशन और विज्ञापन, संपादनकर्ता अभिकरणों द्वारा तुच्छ कार्यों के लिए कम निधियों का उपयोग करने और पुरस्कारों के लिए कम संख्या में निपटारा होने के कारण निधियां ₹12020.83 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(II) Under "Collection Charges - Income Tax - Commissioners and their Offices" - the original provision of ₹772149.58 lakhs was augmented to ₹824264.39 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹52114.81 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹12020.83 lakhs - due to non-joining of new recruits under Rojgar Employment Scheme, less claims of valuations services, overtime, medical re-imbursements, requirement of less funds towards leave travel concession, rewards, fees of standing counsel, less utilisation of funds by Central Public Works Department, less tours undertaken, less nominations for international courses and attachment, less publication and advertising, less utilisation of funds related to minor works by executing agencies and less settlement of reward proceedings.

(III) "संग्रहण शुल्क – आयकर – आयकर और संपत्ति कर मामलों के निपटान आयुक्त" – ₹613.81 लाख की बचत (₹59.25 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹2582.02 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और भत्तों, किराया दर और करों, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, पुरस्कारों, कम संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कुछ प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दिए जाने से कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) Under Collection Charges - Income Tax - Settlement Commission for Income Tax and Wealth Tax Cases - saving of ₹613.81 lakhs (against total sanctioned provision of ₹2582.02 lakhs including supplementary grant of ₹59.25 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards allowances, rent rates and taxes, medical re-imbursements, rewards, less training programmes and non-clearance of some proposals of Central Public Works Department.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए:–

2. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	46620.00			
पू.	S.	1.00	24608.49	24218.44	-390.05
पु.	R.	-22012.51			
मुख्य शीर्ष "4075"	Major Head "4075"				
विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Miscellaneous General Services				
मू.	O.	105200.00			
पू.	S.	1.00	88492.73	87806.29	-686.44
पु.	R.	-16708.27			
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	9180.00			
पू.	S.	1.00	6349.96	6185.55	-164.41
पु.	R.	-2831.04			

(I) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹5993.31 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से अकेले ₹5992.31 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन – निर्माण – तैयार निर्मित आवासों का अधिग्रहण" के अंतर्गत – संपादनकर्ता अभिकरणों द्वारा निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹5993.31 lakhs remained wholly unutilized under two heads; of these ₹5992.31 lakhs alone accounted for under Major Head "4059" - "Office Buildings - Construction - Acquisition of Ready Built Accommodation" - due to less utilization of funds by the executing agency.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन – निर्माण – आयकर विभाग के लिए भूमि का अधिग्रहण और कार्यालय भवन का निर्माण" के अंतर्गत – ₹16410.25 लाख की बचत (फ़रवरी, 2024 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक

(II) Under Major Head "4059" - "Office Buildings - Construction - Acquisition of Land & Construction of office Building for Income Tax Department"- saving of ₹16410.25 lakhs (against the

अनुदान सहित ₹40628.69 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संपदनकर्ता अभिकरणों द्वारा निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

total sanctioned provision of ₹40628.69 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2024) was due to less utilisation of funds by the executing agency.

(III) मुख्य शीर्ष "4075" – "निदेशन और प्रशासन – संबद्ध कार्यालय" के अंतर्गत – ₹17195.61 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹104614.20 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आईटी उपकरणों की खरीद, मशीनरी और उपकरणों की खरीद, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा साज सज्जा का काम पूरा नहीं किए जाने से कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4075" - "Direction and Administration - Attached Offices" - saving of ₹17195.61 lakhs (against total sanctioned provision of ₹104614.20 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2023) was due to requirement of less funds towards IT procurements, machinery and equipment and non-completion of furniture & fixture work by Central Public Works Department.

(IV) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – आयकर विभाग के कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन – आयकर विभाग के लिए भूमि का अधिग्रहण और आवासीय भवनों का निर्माण" के अंतर्गत – ₹2994.45 लाख की बचत (फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹9180.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संपादनकर्ता अभिकरणों द्वारा कम निधियों का उपयोग करने और सीधे खरीद से विक्रेता द्वारा पट्टे पर देने के लिए शर्तों और निबंधनों में परिवर्तन करने के कारण प्लाटों के हस्तांतरण को मूर्त रूप नहीं दिए जाने और भूमि की खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Residential Buildings for Income Tax Employees - Acquisition of Land & Construction of Residential Building for Income Tax Department"- saving of ₹2994.45 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9180.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2024) was due to less utilization of funds by the executing agency, non-materialisation of transfer of plots and non-finalisation of procurement of land owing to change in terms and conditions from outright purchase to lease by the seller.